



# हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

प्रशासनिक भवन, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर, पटेल नगर, देहराखास देहरादून,  
दूरभाष 0135-2273321, 2273322 फैक्स नं० 0135-2273323  
वेबसाईट: [www.hnbumu.ac.in](http://www.hnbumu.ac.in) ईमेल: [info.hnbumu@gmail.com](mailto:info.hnbumu@gmail.com)

## P.H.M.S Uttrakhand/ Doctors serving under service bond

द्वारा अपलोड किये जाने वाले दुर्गम क्षेत्र की सेवा अवधि के प्रमाण पत्र के संबंध में।

ऐसे अभ्यर्थी जो पी०एम०एच०एस० उत्तराखण्ड के नियमित चिकित्सक हैं अथवा जो अनिवार्य सेवा संबंधी बाण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत हैं, और नीट पी०जी० 2021 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं के द्वारा आन-लाईन आवेदन में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जानी होगी:-

- आन-लाईन आवेदन करते समय PMHS/ Serving Under Bond अभ्यर्थी का विकल्प चयन करें।
- विकल्प चयन करने पर उन्हें पी०एम०एच०एस०/अनिवार्य सेवा संबंधी बाण्ड के रूप में कार्यरत चिकित्सक हेतु नीट पी०जी० 2021 काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने के लिये महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण उत्तराखण्ड स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को आन-लाईन आवेदन फार्म में यथा स्थान अपलोड करना होगा।
- विश्वविद्यालय की बैवसाईट पर अपलोड किये गये Difficult Area Certificate format Link . अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करते हुये उसमें अपने स्तर से वांछित सूचना/ जानकारी भरनी होगी, जिसमें उनके द्वारा वर्तमान तैनाती स्थल से पूर्व में की गयी समस्त दुर्गम क्षेत्रों की सेवा अवधि (यदि हो तो) के साथ-साथ वर्तमान तैनाती स्थल की सेवा अवधि (दिनांक 30.09.2021 तक) का भी विवरण अंकित किया जाना होगा।
- तदपश्चात इस प्रारूप पर वर्तमान तैनाती स्थल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक स्तर से दुर्गम क्षेत्रों में की गयी सेवा की अवधि को यथा स्थान हस्ताक्षरित कर प्रमाणित कराया जाना होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा पूर्व तैनाती स्थल की दुर्गम सेवा अवधि को वर्तमान तैनाती स्थल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पूर्व में दुर्गम क्षेत्रों में की गयी सेवा अवधि हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रमाणित किया जायेगा।
- तदोपरान्त अभ्यर्थी द्वारा इस प्रमाण पत्र के साथ उसके द्वारा पूर्व में दुर्गम क्षेत्रों में की गयी सेवा (यदि हो तो) हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्रों की एक संयुक्त PDF बनाते हुये उसे आन-लाईन आवेदन फार्म में यथास्थान अपलोड किया जाना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये गये उक्त PDF अभिलेखों को विश्वविद्यालय द्वारा डाउनलोड कर प्राचार्य वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान / महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड से सत्यापन/प्रतिहस्ताक्षर हेतु अपने स्तर से प्रेषित किया जायेगा। महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड से सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षरित दुर्गम क्षेत्रों में सेवा की अवधि के आधार

पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को अधिमानी अंको का नियमानुसार लाभ दिया जायेगा।

भविष्य में मानक संस्थाओं यथा भारत सरकार/एम0सी0आई0/डी0सी0आई0/उत्तराखण्ड शासन एवं काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों को विश्वविद्यालय की वैबसाईट [www.hnbumu.ac.in](http://www.hnbumu.ac.in) के माध्यम से ही अवगत कराया जायेगा, अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वैबसाईट [www.hnbumu.ac.in](http://www.hnbumu.ac.in) का नियतिम रूप से अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथि :-13.01.2022

सदस्य सचिव

नीट पी0जी0 2021 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग

